ALL INDIA ESIC SC/ST OFFICERS' & EMPLOYEES' FEDERATION

PANCHDEEP BHAWAN, CIG ROAD, NEW DELHI – 110002.
EMAIL : heera@myesic.com & mahinder@myesic.com
www.myesic.com
"Affiliated with All India Confederation of SC/ST Organisations"
(Regd.No. S/27858 of 1995)

WORKING PRESIDENT
JALIM SINGH AHIRWAL

VICE-PRESIDENT (NORTH)
MAHINDER SINGH

SECRETARY GENERAL
HEERA SINGH
Mob. No. 09868241160

SECRETARY (PUB. RELATION)
ANIL KUMAR

SECRETARY (FOR NCR)
JAGDISH

FOUNDER MEMBER
SHRI BHAGWATI PRASAD
RETD. INS. COMMISSIONER

ADDL. SECY. GENERAL
B. GNANA KUMAR

SECY. FINANCE
RAJ KUMAR

ASSISTANT SECY. FINANCE
UMESH KUMAR

VICE-PRESIDENTS
MAHINDER SINGH (N.ZONE)
G. SELVA KUMAR (S. ZONE)
RAJENDRA TUDU (E. ZONE)
M. G. SORTE (W. ZONE)

ASST. SECY GENERAL
ANITA SURESH (N.ZONE)
G. NARAYAN SWAMY (S. ZONE)
R. N. MALLICK (E. ZONE)
SUNIL KR. DEDE (W. ZONE)

JOINT SECRETARY
KULDEEP KUMAR (N. ZONE)
D. Y. GIRI (S. ZONE)
VIDHYANAND DAS (E. ZONE)
JAGDISH SALVE (W. ZONE)

LIAISON SECRETARIES
GOVERDHAN DAS (N. ZONE)
K. SATYANARAYANA SWAMY (S. ZONE)
SUDIP KUMAR SARKAR (E. ZONE)
RAM CHANDRA JATIA (W. ZONE)

INTERNAL AUDITORS
KULDEEP KUMAR
KAILASH CHAND

F.No. AIESIC.SC/ST.FED. 2015-34. Dated 14 जून, 2017

सेवा में,

श्रीमान महा निदेशक महोदय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
पंचदीप भवन, सी आई जी रोड,
नई दिल्ली ११०००२

विषय : श्री रामचन्द्र जाटव (ओ टी टेकनीशियन) क॰ रा॰ बी॰ नि॰ आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश के अनुशासनिक प्रक्रिया में जारी आदेश में पाये गए दोषों के वीरुध अपील पर पर यथाशीघ्र विधि सम्मत, न्यायसम्मत, प्रक्रिया सम्मत एवं मानवीय निर्णय लेने हेतु आवेदन।

आदरणीय महोदय,

विनम्र निवेदन इस प्रकार से है कि मैंने श्री रामचन्द्र जाटव (ओ टी टेकनीशियन) क॰ रा॰ बी॰ नि॰ आदर्श चिकित्सालय, नन्दा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश के अनुशासनिक प्रक्रिया में जारी अनुशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 16-11-2016 (संलग्नक 'क') के न्यायसम्मत व विधिसम्मत न होने एवं अमानवीय होने के अनेक दोष पाए हैं जिनके वीरुध आरोपित कर्मचारी ने सक्षम अधिकारी के सम्मुख अपना अपील प्रस्तुत करने का प्रयाष किया है ।

संबन्धित अबोध कर्मचारी एवं अनुशासनिक अधिकारी ने न्यायप्रक्रिया एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 के ज्ञान न होने के कारण प्रकरण में विनियम 19(5)(1) के अंतर्गत अपील आदेश जारी करने वाले अधिकारी के अगला उच्चाधिकारी चिकित्सा आयुक्त महोदय को संबोधित किया बताया है । किसी प्रकार की दुविधा न हो इस कारण से अबोध कर्मचारी एवं अनुशासनिक अधिकारी ने अपील निदेशक (सतर्कता) को भी संबोधित किया बताया है ।

ALL INDIA ESIC SC/ST OFFICERS' & EMPLOYEES' FEDERATION

PANCHDEEP BHAWAN, CIG ROAD, NEW DELHI – 110002.

EMAIL : heera@myesic.com & mahinder@myesic.com

www.myesic.com

"Affiliated with All India Confederation of SC/ST Organisations"

(Regd.No. S/27858 of 1995)

WORKING PRESIDENT
JALIM SINGH AHIRWAL

VICE-PRESIDENT (NORTH)
MAHINDER SINGH

SECRETARY GENERAL
HEERA SINGH
Mob. No. 09868241160

SECRETARY (PUB. RELATION)
ANIL KUMAR

SECRETARY (FOR NCR)
JAGDISH

प्रकरण में आदेश दिनांक 16-11-2016 की जांच करने पर मैंने निम्नलिखित दोष पाए जो की पूर्ण रूप से न्याय के वीरुध हैं :-

1. अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपने आदेश में आरोप क्रमांक 1 के अंतर्गत पैरा 4 में यह कहना कि "सतर्कता टीम इस बात से संतुष्ट है कि वास्तविक रूप से रुपयों का लेन देन हुआ है जिसकी पुष्टि कुमारी शिंदे तथा उनके पिता श्री अजय शिने के कथनों से होती है तथा रुपयों के समव्यवहार की पुष्टि बैंक के पासबूक से होती है" पूर्ण रूप से गलत है । प्रकरण में मात्र शिकायत कर्ता एवं शिकायत कर्ता के बैंक के बीच लेन देन एवं समव्यवहार कि पुष्टि होती है । जबकि, शिकायत कर्ता एवं आरोपित व्यकित के बीच किसी प्रकार का लेन देन एवं समव्यवहार साबित नहीं किया जा सका है ।

2. प्रकरण में शिकायत कर्ता भी निगम का एक कर्मचारी है एवं उसका आचरण एवं आरोपित व्यक्ति के आचरण दोनों ही सी॰ सी॰ एस॰ (व्यवहार) नियम 1964 एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम (कर्मचारी एवं सेवा की शर्तें) विनियम, 1959 के दायरे में आते हैं । प्रकरण में शिकायत कर्ता सी॰ सी॰ एस॰ (व्यवहार) नियम 1964 के नियम 18(3) के अंतर्गत तय सीमा से अधिक के लेन-देन की सूचना अपने कार्यालय को देने के लिए बाध्य है जो कि शिकायत कर्ता द्वारा नहीं दिया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि यह लेन-देन मात्र शिकायत कर्ता एवं उसके बैंक के बीच हुआ है ।

3. अनुशासनिक अधिकारी का अपने आदेश में आरोप क्रमांक 1 के अंतर्गत पैरा 5 में यह कहना कि "सामाजिक सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने श्री बी॰ एल॰ भटनागर, चिकित्सा अधीक्षक, भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर से संपर्क किया जिन्होने पुष्टि की कि कुमारी हिना शिंदे पुत्री श्री अजय शिंदे नाम की कोई कर्मचारी उनके अस्पताल में कार्यरत नहीं थी एवं अनुभव प्रमाण पत्र अवैध एवं जाली साबित हुआ" आंशिक रूप से सत्य है । प्रकरण में मात्र यह तथ्य प्रकाश में आया है कि कुमारी हिना शिंदे नें अपने

ALL INDIA ESIC SC/ST OFFICERS' & EMPLOYEES' FEDERATION

PANCHDEEP BHAWAN, CIG ROAD, NEW DELHI – 110002.

EMAIL : heera@myesic.com & mahinder@myesic.com

www.myesic.com

"Affiliated with All India Confederation of SC/ST Organisations"

(Regd.No. S/27858 of 1995)

WORKING PRESIDENT
JALIM SINGH AHIRWAL

VICE-PRESIDENT (NORTH)
MAHINDER SINGH

SECRETARY GENERAL
HEERA SINGH
Mob. No. 09868241160

SECRETARY (PUB. RELATION)
ANIL KUMAR

SECRETARY (FOR NCR)
JAGDISH

आवेदन के साथ जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है । जबकि, एसे कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं जो यह साबित करें की मेसर्स भण्डारी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर का प्रमाण पत्र आरोपित व्यकित ने बनाया है ।

4. शिकायत कर्ता कुमारी शिंदे नें जाली प्रमाण पत्र जमा करने का कुकृत्य कर भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत घोर अपराध किया था । निगम को प्रकरण में कुमारी शिंदे एवं उनके सहयोगियों के वीरुध आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए था ताकि प्रमाण पत्र को बनाने वाले को चिन्हित कर उसके वीरुध आपराधिक अभियोग कायम किया जा सके परंतु ऐसा नहीं किया गया है ।

5. प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं आया है जो यह साबित कर सके कि संदर्भित प्रमाण पत्र जारी करने में अथवा कारवाने में आरोपित व्यक्ति का कोई रोल है ।

6. प्रकरण में यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि नवम्बर 2011 में सम्पन्न नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ की चयन प्रक्रिया में आरोपित कर्मचारी का न तो प्रत्यक्ष एवं न ही परोक्ष रूप से कोई दखल था अतः आरोपित व्यक्ति प्रकरण में कुछ भी कर सकने में असमर्थ था ।

7. अनुशासनिक अधिकारी द्वारा अपने आदेश में आरोप क्रमांक 1 के अंतर्गत पैरा 8 में यह कहना कि "जाँच अधिकारी ने जो आरोप क्रमांक 01 सिद्ध पाया है वह तथ्यों, दस्तावेजों तथा गवाहों के बयानो पर आधारित है व पूर्णतः सत्य है" पूर्ण रूप से गलत है । प्रकरण में उपरोक्त संदर्भित तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है । प्रकरण में कुछ फर्जी दस्तावेजों को जरूरत से जायदा एहमियत दी गई है एवं इंका सही परिपेक्ष में जाँच नहीं किया गया है । प्रकरण में मूल गवाह शिकायत कर्ता पिता, पुत्री, श्री अजय शिंदे एवं कुमारी हिना शिंदे गवाह के तौर पर उपस्थित नहीं हुए एवं

ALL INDIA ESIC SC/ST OFFICERS' & EMPLOYEES' FEDERATION

PANCHDEEP BHAWAN, CIG ROAD, NEW DELHI – 110002.

EMAIL : heera@myesic.com & mahinder@myesic.com

www.myesic.com

"Affiliated with All India Confederation of SC/ST Organisations"

(Regd.No. S/27858 of 1995)

WORKING PRESIDENT
JALIM SINGH AHIRWAL

VICE-PRESIDENT (NORTH)
MAHINDER SINGH

SECRETARY GENERAL
HEERA SINGH
Mob. No. 09868241160

SECRETARY (PUB. RELATION)
ANIL KUMAR

SECRETARY (FOR NCR)
JAGDISH

उनके द्वारा दिया गया बयान एवं दस्तावेज सत्यापित नहीं हो पाये हैं अतः उनके द्वारा दिया गया बयान एवं दस्तावेजों का कोई प्रामाणिक मूल्य नहीं है ।

8. आरोपी पक्ष प्रकरण में मूल साक्षी को निगम का पेंशनभोगी होने के बाद भी गवाही हेतु प्रस्तुत नहीं कर पाया एवं न ही साक्षी कर्मचारी के विरुद्ध गवाही न देने के लिए कोई अनुशासनात्मक कारवाई कि गई ।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हैं कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा जारी आदेश पूर्ण रूप से न्यायसम्मत व विधिसम्मत नहीं है एवं पूर्ण रूप से गलत है ।

अतः आपसे यह निवेदन हैं कि आप प्रकरण में संबंधित आरोपित कर्मचारी को तविरत न्याय प्रदान करने हेतु अपीलिय अधिकारी को निर्देश जारी करें ।

भवदीय,

(हीरा सिंह)
महा सचिव

अनुलग्नक :

1. आदेश क्रमांक 18 सी/28/14/4/2015/सतर्कता-आ चि दिनांक 16-11-2016.

प्रतिलिपि :

1. चिकित्सा आयुक्त, मुख्यालय, क. रा. बी. निगम । - सूचनार्थ एवं अनुवर्ती कारवाई हेतु ।
2. बीमा आयुक्त, मुख्यालय, क. रा. बी. निगम ।